

દાનાદ્વયાણ ઉપાધ્યાય ગારરક્ષપુર વિશ્વવિદ્યાલય, ગોરરક્ષપુર - 273009

क : सम्बद्धता / 2020 / विस्त (44) / 2266

दिनांक : 15 / 07 / 2020

वा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य

स्व० राम रहस्य महाविद्यालय, सिंहपुर, चौरीचौरा, गोरखपुर

विषय : स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०ए०दो द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में दो यूनिट (100 सीटों) की प्रवेश क्षमता, शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता के सम्बन्ध में।

महोदय

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्थीकृति की प्रत्याशा में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन समिति ने महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सम्बद्धता से सम्बद्धता समिति ने स्वचित्पौष्टि योजनानार्तगत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० पाठ्यक्रम में प्राचार्य/विभागाध्यक्ष का अनुमोदन न होने, नकल में आरोपित होने तथा परीक्षाफल घोषित न होने एवं स्थायी सम्बद्धता के मानकों को पूर्ण न करने के कारण सम्बद्धता समिति ने संदर्भित महाविद्यालय को एन०सी०टी०ई० एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के दृष्टिगत योजित विषयों/पाठ्यक्रमों में छात्रहित को दृष्टिगत रखते हुए शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

सम्बद्धता समिति की संस्तुति के अधार पर स्वा २० राम हेतु राजकीय सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने का संस्कृत का जाती है।

विषयों/पाठ्यक्रमों (स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी०एड० द्विषोष्य पाठ्यक्रम में दो यूनिट (100 सीटों) की प्रवेश क्षमता, शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु संदर्भित स्ववित्तपेषित योजनान्तर्गत सम्बद्धता) की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है—

- महाविद्यालय, सम्बद्धता समिति द्वारा इंगित करियों थाएँ। सम्बद्धता प्रदान का जाता है—

में प्राचार्यविभागाध्यक्ष का अनुमोदन न होने, नकल में आरोपित होने तथा स्कॉफल घोषित न होने एवं स्थायी सम्बद्धता के मानकों को पूर्ण न करने के कारण सम्बद्धता रखते हुए शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। अनापाति आदेश में इंगित शर्तों को पूर्ण करने के उपरान्त ही छात्रों का प्रवेश
 - महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रवक्ताओं को कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं संविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया।
 - जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 - संस्था शासनादेश संख्या—2851 /सत्तर—2—2003-16(92) /2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं शासनादेश संख्या 4108 /सत्तर—2—2007-2(494) /2007 दिनांक 17.10.2007 तथा शासनादेश संख्या 2112 /सत्तर—2—2008—2(494) /2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंगत विद्या—निर्देशों एवं इस विषय में समय—समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
 - रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर—2—2013—2(650) /2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - कृतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को सशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित करियों की पूर्ति से सम्बद्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय के उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
 - यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
 - संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले सत्र से छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
 - संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
 - संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय—समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
 - संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
 - संस्था परिसर को रैंगिंग मुक्त रखेगी।
 - संस्था व्यवित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
 - महाविद्यालय की अस्थाई सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन व्यविष्य में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
 - महाविद्यालय द्वारा ए0आई0एस0एच0ई0 2018-19 एवं 2019-20 का फार्म पूरित कर दिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता वापस लेने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

पृष्ठाकंन संख्या: सम्बद्धता / 2020 / तददिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

भवदीय

३०

कुलसचिव